



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1448]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2008/आश्विन 24, 1930

No. 1448]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2008/ASVINA 24, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2458(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकारों के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी को विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण भारत में अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	प्रकार	किस्म
1	2	3
1.	चावल	अक्षयदान (आई ई टी 19367)
2.	चावल	सी आर धान 40 (आई ई टी 19253)
3.	चावल	सम्पदा (आई ई टी 19424)
4.	चावल	एम टी यू 1075 (आई ई टी 18482)
5.	चावल	वरधान (आई ई टी 18940)
6.	चावल	गोन्द्रा विधान-1 (आई ई टी 17430)
7.	चावल	थानू
8.	चावल	करमा महसूरी (आई ई टी 19991)
9.	चावल	पी के वी एच एम टी
10.	चावल	जल्दी धान-6 (आई ई टी 14359)
11.	चावल	नुआ कालाजीरा (आई ई टी 18393)
12.	चावल	फूले समृद्धि
13.	चावल	एण्यूडीआर-1 (आई ई टी 19258)
14.	चावल	सी आर धान-10 (आई ई टी 18312)
15.	चावल	सी आर बोरो धान-2 (आई ई टी 17612)
16.	चावल	सी आर धान-70 (आई ई टी 11904)

क्र.सं. 1	प्रकार 2	किस्म 3
17	चावल	सी आर सुगंध धान-3 (आई ई टी 18395)
18	चावल	मनशिवनी (आई ई टी 19005)
19	गेहूं	एच डी 2894 (पूसा गेहूं 109)
20	गेहूं	एच डी 4713 (पूसा गेहूं 11)
21	मक्का	एच एम-10 (एच के एच-1200)
22	मक्का	चन्द्रमणी (आर 2005-2)
23	मक्का	पी एम एच-3 (जे एच 10704)
24	मक्का	एच क्यू पी एम-7
25	मक्का	पन्त सन्कुल मक्का-3 (डी 131)
26	मक्का	बजौरा मक्का (एल 201 कम्पोजिट)
27	मक्का	विवेक संकर मक्का 33 (एफ एच 3352)
28	मक्का	विवेक क्यू पी एम 9 (एफ क्यू एच 4567)
29	रागी	दिव्या (एम आर-6)
30	बर्नियार्ड कदन्न	बी एल मदिरा 207
31	मटर	पूसा 2024
32	उड़द	रश्मि (एल बी-625)
33	उड़द	सुलता (डब्ल्यू बी यू 109)
34	उड़द	प्रसाद
35	गोल मटर	प्लान्ट पी-42
36	गोल मटर	एच एफ पी- 9426
37	अरहर	पूसा 2002
38	लथाएरस	महतेओरा
39	मूंगफली	टी जी-51
40	मूंगफली	अजेया (आर-2001-3)
41	मूंगफली	आई सी जी वी-00348
42	मूंगफली	टी जी-39 (ट्रोम्बे बीकानेर)
43	भारतीय सरसों	सी एस-56 (सी एस 243-2)
44	भारतीय सरसों	पूसा विजय (एन पी जे-93)
45	भारतीय सरसों	पूसा सरसों-22 (एल ई टी-17)
46	अलसी	हिमानी (के एल-214)
47	अलसी	अजाद अलसी-1 (एल एम एस 9-2 के)

क्र.सं. 1	प्रकार 2	किस्म 3
48	अलसी	आर एल सी 92 (आई सी 555926)
49	रामतिल	बरिसा निगर-1 (बी एन एस-10)
50	तिल	सावित्री (एस डब्ल्यू बी 32-10-1)
51	सूरजमुखी	आर एस एफ एच-1
52	सोयाबीन	एस एल-688
53	सोयाबीन	वी एल सोया 63
54	सोयाबीन	वी एल सोया 59
55	सोयाबीन	जवाहर सोयाबीन 97-52 (जे एस 97-52)
56	सोयाबीन	पन्त सोयाबीन-1347 (पी एस 1347)
57	गोभी सरसों	एन यू डी बी-26-11
58	कपास	सूरज (सी सी एच 510-4)
59	कपास	डी एच एच-543 (सुविधा)
60	कपास	आर ए एस 299-1
61	कपास	डी डी एच सी-11
62	गन्ना	बिरेन्द्र (सीओएलके 94184)
63	ग्रेन अमरनाथ	एस के एन ए-21
64	संकर नैपियर घास	ए पी बी एन-1

[फा. सं. 17-5/2008-एसडी-IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2008

S.O. 2458(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely:-

